आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/09/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा** **न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आंगनबाड़ी अपील सं0 19/2012** **कान्ति देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** अपीलकर्त्ता एवं प्रतिवादी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सुना। अपीलकर्त्ता का पक्ष है कि राज्यस्तरीय जाँच दल, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा, सारण जिला के एकमा परियोजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के कम में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 107 बंद पाये जाने के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण, के ज्ञापांक 116/प्रो0 दिनांक 26/04/2012 द्वारा अवैधानिक तरीके से सेविका को चयन मुक्त कर दिया गया। अपीलकर्त्ता का तर्क है कि राज्यस्तरीय जाँच दल का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य साक्ष्य उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके कारण वे समुचित जवाब नहीं दे सके। यह नैसर्गिक न्याय का हनन है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण का आदेश स्पष्टतः विधिमान्य नहीं है। फलस्वरूप प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए मामले को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष रिमिट किया जाता है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे सभी साक्ष्य अपीलकर्त्ता को उपलब्ध कराएँ तथा पुनः विधि-सम्मत् ढँग से मामले का निष्पादन दो माह के अंदर करना सुनिश्चित करें। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	